न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–38/2017/भीलवाड़ा (2017/00060)

1. लखमानाथ पुत्र भैरूनाथ, जाति कालबेलिया, नि0 रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा ।
2. अलताफ हुसैन पुत्र शरीफ मोहम्मद, जाति रंगरेज, नि0 ग्राम बोराना, तह0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र हीरालाल,
2. किशनराज पुत्र हीरालाल,
3. मु0 मांगी पुत्री हीरालाल,
4. मु0 सुन्दर पुत्री हीरालाल,
5. प्यारचन्द पुत्र हीरालाल,
6. भंवरलाल पुत्र हीरालाल,

   समस्त जाति कुम्हार, निवासी रायपुर, तह0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रायपुर, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर दिनांक 13.1.2016 अंतर्गत अपील संख्या 10/2015.

उपस्थितः–

1. श्री वी0पी0सिंह, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 5 व 6.

निर्णय

दिनांक :– 5.3.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.1.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत अपीलांट संख्या 1 एवं राज्य सरकार के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केमुनिया, तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में ग्राम रायपुर से गंगापुर जाने वाली सड़क के उत्तर दिशा में प्रार्थीगण के खेत है जिसके पश्चिम व उत्तर में सरकारी गैर मुश्तकिल नाला साबिक आराजी संख्या 876/14 स्थित है जो बिलानाम गैर काबिज काश्त है । इस नाले के पूर्वी दक्षिणी कोने में विपक्षी संख्या 2 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 876/8 रकबा 5 बिस्वा भूमि स्थित है । इस आराजियात ` व सड़क के बीच हम प्रार्थीगण व अन्य के खेत व कृषि भूमियां स्थित है । साबिक आराजी संख्या 876/14 बिलानाम गैर काबिज काश्त गैर मुश्तकिल नाला होकर उत्तर से दक्षिण की तरफ सड़क को क्रोस करते हुए हम प्रार्थीगण की आराजियात के पश्चिम में स्थित होकर सटमा है और इसमें विपक्षी संख्या 2 या अन्य किसी के खेत स्थित नहीं होकर यह बहाव स्रोत है जिसमें बरसाती पानी बहता है और भरा रहता है, इस नाले के सहारे–सहारे करीबन 30 फीट चौडा रास्ता स्थित है जो हम प्रार्थीगण व विभिन्न व्यक्तियों के खेतों तक जाता है जो करीब 150 वर्ष पुराना है । तहसील रायपुर का नवीन भू–प्रबंध हुआ जिसमें ग्राम केमुनिया का भी नवीन भू–प्रबंध किया गया जिसमें गैर मुश्तकिल नाला कि आराजी संख्या 876/14 के नवीन नंबर 1443 कायम किये गये जो वर्तमान में बिलानाम गैर काबिज काश्त गैर मुश्तकिल नाला दर्ज रिकार्ड है तथा विपक्षी संख्या 2 लखमानाथ कि साबिक आराजी संख्या 876/8 के नवीन नंबर 1644 रकबा 0.06 है0 कायम किये गये, जो विपक्षी संख्या दो के नाम दर्ज है । नवीन भू–प्रबंध के दौरान उक्त साबिक आराजियात के नवीन नंबर व रकबा तो सही कायम किये गये किन्तु साबिक नक्शे व मौके की स्थिति के अनुरूप नवीन नक्शे में तरमीम नहीं कर गलत तरीके से फीट कर दिया और गैर कानूनी तरीके से विपक्षी संख्या 2 की नवीन आराजी संख्या 1644 रकबा 0.06 है0 भूमि को गैर मुश्तकिल नाला की आराजी संख्या 1643 में सड़क के पास फिट करते हुए नाले में फिटिंग कर दी गई जबकि विपक्षी संख्या 2 का साबिक नक्शे के मुताबिक ही मौके पर काबिज है । वर्तमान नक्शे में जहां पूर्व में विपक्षी संख्या 2 की आराजी फिट थी वहां कोई नंबर अंकित नहीं है और खाली छोड़ रखा है जिससे विपक्षी संख्या 2 गलत फिट हुए नंबरों का नाजायज फायदा उठाकर गैर मुश्तकिल नाले पर कब्जा करना चाहता है और प्रार्थीगण व अन्यों व्यक्तियों के निकलने वाले रास्ते व सरकारी नाले को बंद करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम केमुनिया, तहसील रायपुर स्थित विपक्षी संख्या 2 की हाल आराजी को साबिक नक्शे व मौके स्थिति अनुसार वर्तमान नक्शे में उसकी छुटी हुई जगह पर फिट कर नवीन नक्शे में इंद्राज

दुरूस्त करने का आदेश पारित किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 13.1.2016 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम केमुनिया, तह0 रायपुर के बैरून हल्का आबादी स्थित विपक्षी संख्या 2 की हाल आराजी संख्या 1644 रकबा 0.06 है0 भूमि को साबिक नक्शे व मौके की स्थिति अनुरूप वर्तमान नक्शे में इंद्राज दुरूस्त की जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को विधिवत् नोटिस दिय बिना एवं समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि साबिक खसरा नंबर 876/8 हाल खसरा नंबर 1644 रकबा 0.06 है0 अपीलांट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि है जिसको बंदोबस्त विभाग ने पुराने नक्शे के अनुसार नवीन नक्शा में तरमीम कर नवीन नंबरों को उसके अनुसार फिट किया था जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं थी । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने बिना किसी प्रकार की जांच किये एवं रिकार्ड का विवेचन किय बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने इस बाबत् पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट संख्या 1 के हक में विवादित आराजी का रूपातंरण हो चुका है तथा अपीलांट संख्या 1 ने विवादित भूमि अपीलांट संख्या 2 को दिनांक 23.12.2015 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा वर्तमान में अपीलांट संख्या 2 भूमि का खातेदार होकर मौके पर काबिज चला आ रहा है जिसको रेस्पो0 ने प्रकरण में बिना पक्षकार बनाये एकतरफा में आदेश पारित करवाया है । अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकारों के कुसंयोजन के अभाव में भी प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में हुई लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है ना कि किसी खातेदार की भूमि को नक्शे में तरमीम कर अन्यंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता है । धारा 136 का स्कोप बहुत ही सीमित है । अधी0न्याया0 ने अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 13.1.2016 को अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी । निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.5. 2016 को उस समय हुई जब रेस्पो0 ने विवादित भूमि पर आकर अपीलांट को धमकी दी की प्रकरण का निस्तारण उनके पक्ष में हो चुका है और अब प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल किया जावेगा । इस पर अपीलांटस ने दिनांक 11.5.2016 को रायपुर जाकर निर्णय की जानकारी की तथा निर्णय की पुष्टि होने पर निर्णय की प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 12.5.5016 को निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सदभाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । xx

5- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । तहसील रायपुर के नवीन भू–प्रबंध के समय गैर मुश्तकिल नाला की आराजी संख्या 876/14 के नवीन नंबर 1463 कायम किये गये तथा अपीलांट संख्या 1 लखमानाथ की साबिक आराजी संख्या 876/8 के नवीन नंबर 1644 रकबा 0.06 है0 कायम किये गये है । नवीन भू–प्रबंध में साबिक आराजियात के नवीन नंबर व रकबा तो सही कायम किये गये किन्तु साबिक नक्शे व मौके की स्थिति के अनुरूप नवीन नक्शे में तरमीम नहीं कर गलत फिट किया गया है जिसकी पुष्टि साबिक नक्शा एवं नवीन नक्शा से होती है । अपीलांट संख्या 1 साबिक नक्शे अनुसार ही काबिज है किन्तु नवीन नक्शे में अपीलांट संख्या 1 का नवीन खसरा नंबर 1463 अन्यंत्र दर्शाया गया है जो भू–प्रबंध विभाग द्वारा की गई त्रुटि ही है । अपीलांट गलत तरमीम के आधार पर नाले व रास्ते की आराजी पर कब्जा करने पर उतारू है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निर्णित करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना नोटिस दिये एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि विवादित भूमि का अपीलांट संख्या 1 के पक्ष में रूपातंरण हो चुका है तथा अपीलांट संख्या 1 ने विवादित भूमि को अपीलांट संख्या 2 को दिनांक 23.12.2015 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है जिससे अपीलांटस

अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें सुना जाना आवश्यक था । इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय एकतरफा में पारित किया है जिससे अपीलांट्स को अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला । चूंकि प्रकरण राजस्व नक्शे में इंद्राज दुरूस्ती का होने से पड़ौसी हितबद्ध काश्तकारों को सुना जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा कर विधिक त्रुटि कारित की है । हम न्यायहित में अपीलांट्स को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 13.1.2016 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:<u>क्रियात्मक आदेश</u>:–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 38/2017 (2017/00060) बउनवानी लखमानाथ बनाम नन्दलाल व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर द्वारा अपील संख्या 10/2015 बउनवानी नन्दलाल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 13.1.2016 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 5.3.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर